क्रम-संख्या—212 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०—डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 7 नवम्बर, 2022

कार्तिक 16, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग—4

संख्या 781/दो-4—2022-45(32)-2006

लखनऊ, 7 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0—65

संविधान के अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2022

1. (1)—यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2022'' कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2)—इस नियमावली के नियम 3 और 5 दिनांक 21 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

(3)—इस नियमावली का नियम 4 सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

परिभाषा

2–इस नियमावली में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, ''नियमावली'' का तात्पर्य ''उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001'' से है।

नियम 8 भाग–3 का संशोधन

3–उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
8–**आरक्षण**–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय–समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा:	8–**आरक्षण**–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के सदस्यों के लिये सेवा में पदों पर आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण विहित करने वाली विधि के उपबन्धों के अनुसार होगा:
परन्तु यह कि चार प्रतिशत रिक्तियां मानक दिव्यांगता वाले निम्नलिखित व्यक्तियों के लिये आरक्षित की जायेंगी, अर्थात् :–	परन्तु यह कि चार प्रतिशत रिक्तियां मानक दिव्यांगता वाले निम्नलिखित व्यक्तियों के लिये आरक्षित की जायेंगी, अर्थात् :–
(एक) चलन क्रिया सम्बन्धी दिव्यांगता (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) की श्रेणी के अधीन एक प्रतिशत निम्नलिखित श्रेणी वाले दिव्यांगजनों के लिये– (क) एक भुजा, एक पैर और दोनों पैरों की चलन क्रिया सम्बन्धी दिव्यांगता; (ख) कुष्ठ उपचारित व्यक्ति; (ग) बौनापन; (घ) एसिड अटैक पीड़ित;	(एक) चलन क्रिया सम्बन्धी दिव्यांगता (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) की श्रेणी के अधीन एक प्रतिशत निम्नलिखित श्रेणी वाले दिव्यांगजनों के लिये– (क) एक भुजा, एक पैर और दोनों पैरों की चलन क्रिया सम्बन्धी दिव्यांगता; (ख) कुष्ठ उपचारित व्यक्ति; (ग) बौनापन; (घ) एसिड अटैक पीड़ित;
(दो) (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) 'दृष्टिह्रास' श्रेणी के अधीन 'निम्न दृष्टि' वाले व्यक्तियों के लिये एक प्रतिशत;	(दो) (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) 'दृष्टिह्रास' श्रेणी के अधीन 'निम्न दृष्टि' वाले व्यक्तियों के लिये एक प्रतिशत;
(तीन) (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) 'श्रवण शक्ति का ह्रास' श्रेणी के अधीन 'ऊंचा सुनने वाले' वाले व्यक्तियों के लिये एक प्रतिशत;	(तीन) (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) 'श्रवण शक्ति का ह्रास' श्रेणी के अधीन 'ऊंचा सुनने वाले' वाले व्यक्तियों के लिये एक प्रतिशत;
(चार) चक्रानुक्रम के आधार पर खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) में उल्लिखित व्यक्तियों के लिये शेष एक प्रतिशत।	(चार) चक्रानुक्रम के आधार पर खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) में उल्लिखित व्यक्तियों के लिये शेष एक प्रतिशत।
स्पष्टीकरण:–उक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) और (ङ) में उल्लिखित मानक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिये तात्पर्यित रोस्टर बिन्दु ऊपर उल्लिखित श्रेणियों (एक) से (तीन) में अभ्यर्थियों के लिये उसी क्रम में आवंटित किये जायेंगे:	**स्पष्टीकरण**:–उक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) और (ङ) में उल्लिखित मानक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिये तात्पर्यित रोस्टर बिन्दु ऊपर उल्लिखित श्रेणियों (एक) से (तीन) में अभ्यर्थियों के लिये उसी क्रम में आवंटित किये जायेंगे:

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
परन्तु यह और कि निम्नलिखित शारीरिक क्रिया कलाप करने में समर्थ अभ्यर्थी ही पात्र हैं :– (क) बैठकर निष्पादित कार्य; (ख) खड़े होकर निष्पादित कार्य; (ग) चलकर निष्पादित कार्य; (घ) देखकर निष्पादित कार्य; (ङ) श्रवण कर निष्पादित कार्य; (च) लिख और पढ़कर निष्पादित कार्य; (छ) संसूचित करना (संसूचना के अन्तर्गत मौखिक या गैर मौखिक संसूचना सम्मिलित है)।	परन्तु यह और कि निम्नलिखित शारीरिक क्रिया कलाप करने में समर्थ अभ्यर्थी ही पात्र हैं :– (क) बैठकर निष्पादित कार्य; (ख) खड़े होकर निष्पादित कार्य; (ग) चलकर निष्पादित कार्य; (घ) देखकर निष्पादित कार्य; (ङ) श्रवण कर निष्पादित कार्य; (च) लिख और पढ़कर निष्पादित कार्य; (छ) संसूचित करना (संसूचना के अन्तर्गत मौखिक या गैर मौखिक संसूचना सम्मिलित है)।

परिशिष्ट-दो के प्रश्न-पत्र संख्या-1 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट-दो के उपबन्ध के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपबन्ध रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपबंध**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध**
परिशिष्ट–दो (नियम 19 देखें) उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम :– परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे – **प्रश्न-पत्र संख्या-1–सामान्य ज्ञान :** यह प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा। ''सामान्य ज्ञान'' का एक प्रश्न–पत्र होगा। इस प्रश्न–पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न–पत्र सम्मिलित हो सकते हैं।	परिशिष्ट–दो (नियम 19 देखें) उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम :– परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे – **प्रश्न-पत्र संख्या-1–सामान्य ज्ञान :** यह प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा। ''सामान्य ज्ञान'' का एक प्रश्न–पत्र होगा। इस प्रश्न–पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के मुख्य बातों के विशेष सन्दर्भों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालकों/बालिकाओं से सम्बन्धित अपराधों सहित सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न–पत्र सम्मिलित हैं।

स्तम्भ—1	स्तम्भ—2
विद्यमान उपबंध	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध**
परिशिष्ट—दो	परिशिष्ट—दो
(नियम 19 देखें)	(नियम 19 देखें)
इन प्रश्न—पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।	इन प्रश्न—पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

परिशिष्ट-दो के प्रश्न-पत्र संख्या—6 का संशोधन

5—उक्त नियमावली में विद्यमान परिशिष्ट—दो में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये प्रश्न-पत्र संख्या 6 के उपबन्धों के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिये गये उपबन्ध रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

स्तम्भ—1	स्तम्भ—2
विद्यमान उपबंध	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपबंध**
परिशिष्ट—दो	परिशिष्ट—दो
(नियम 19 देखें)	(नियम 19 देखें)
प्रश्न-पत्र संख्या 5—विधि-3 (दण्ड, राजस्व और स्थानीय विधियां)—	**प्रश्न-पत्र संख्या 6—विधि-तीन (दण्ड, राजस्व और स्थानीय विधियां)—**
यह प्रश्न—पत्र 200 अंकों का होगा।	यह प्रश्न—पत्र 200 अंकों का होगा।
प्रश्न समुच्चय निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होगा :—	प्रश्न समुच्चय निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होगा :—
भारतीय दण्ड संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगरीय (नियोजन और विकास) अधिनियम, 1973 और तद्धीन बनायी गयी नियमावली।	भारतीय दण्ड संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगरीय (नियोजन और विकास) अधिनियम, 1973 और साथ ही साथ पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन बनायी गयी नियमावलियाँ।
स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दण्ड विधियों के प्रश्न 50 अंकों के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 150 अंकों के होंगे।	स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दण्ड विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 50 अंकों के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 150 अंकों के होंगे।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

808 RPH 2022 (Sa Niyukti-4) date-4e

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 781/Two-4–2022-45(32)-2006, dated November 7, 2022:

No. 781/Two-4–2022-45(32)-2006

Dated Lucknow, November 7, 2022

IN exercise of the powers conferred by the Article 234 and the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor in consultation with the Uttar Pradesh Public Service Commission and the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Judicial Service Rules, 2001.

THE UTTAR PRADESH JUDICIAL SERVICE (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2022

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Judicial Service (Fifth Amendment) Rules, 2022".

(2) Rules 3 and 5 of these rules shall be deemed to have come into force from April 21, 2022.

(3) Rules 4 of these rules shall come into force from the date of publication in the official *Gazette*.

Definition

2. In these rules, unless the context otherwise requires "Rules" mean "The Uttar Pradesh Judicial Service Rules, 2001."

Amendment of rule 8, Part-III

3. In the Uttar Pradesh Judicial Service Rules, 2001, hereinafter referred to as the said rules *for* existing rule 8 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted,* namely:–

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
8. **Reservation**-Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of freedom fighters and Ex-Service men) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment:	8. **Reservation**-Reservation to posts in the service for the members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the provisions of the law prescribing reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories:
Provided that four percent of vacancies shall be reserved for the following persons with "benchmark disabilities", namely:-	Provided that four percent of vacancies shall be reserved for the following persons with "benchmark disabilities", namely:-
(i) One percent for the persons in the following category of disabilities under the category of 'Locomotor disability' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016):-	(i) One percent for the persons in the following category of disabilities under the category of 'Locomotor disability' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016):-
(a) Locomotor disability of One Arm, One Leg and Both Legs;	(a) Locomotor disability of One Arm, One Leg and Both Legs;
(b) Leprosy cured person;	(b) Leprosy cured person;
(c) Dwarfism;	(c) Dwarfism;
(d) Acid attack victims;	(d) Acid attack victims;

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
(ii) One percent for the persons with 'Low vision' under the category of 'Visual Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016);	(ii) One percent for the persons with 'Low vision' under the category of 'Visual Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016);
(iii) One percent for the persons with 'hard of hearing' under the category of 'Hearing Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016);	(iii) One percent for the persons with 'hard of hearing' under the category of 'Hearing Impairment' (as defined in the Schedule appended to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016);
(iv) Remaining One percent for the persons mentioned in the above clauses (i), (ii) and (iii), on rotation basis.	(iv) Remaining One percent for the persons mentioned in the above clauses (i), (ii) and (iii), on rotation basis.
Explanation:-The roster points meant for the candidates with benchmark disabilities mentioned in clauses (d) and (e) of sub-section (1) of section 34 of the said Central Act, shall be allotted to the candidates in categories (i) to (iii) mentioned above, in the same order:	*Explanation*:-The roster points meant for the candidates with benchmark disabilities mentioned in clauses (d) and (e) of sub-section (1) of section 34 of the said Central Act, shall be allotted to the candidates in categories (i) to (iii) mentioned above, in the same order:
Provided further that the candidates who are able to perform the following physical activities alone are eligible:-	Provided further that the candidates who are able to perform the following physical activities alone are eligible:-
(a) Work performed by Sitting;	(a) Work performed by Sitting;
(b) Work performed by Standing;	(b) Work performed by Standing;
(c) Work performed by Walking;	(c) Work performed by Walking;
(d) Work performed by Seeing;	(d) Work performed by Seeing;
(e) Work performed by Hearing;	(e) Work performed by Hearing;
(f) Work performed by Reading and Writing;	(f) Work performed by Reading and Writing;
(g) Communicating (Communicating would also include verbal or non-verbal communication).	(g) Communicating (Communicating would also include verbal or non-verbal communication).

Amendment of Paper no. 1 of Appendix-II

4. In the said rules in existing appendix-II set out in Column-1 below, the provision as set out in Column-2 shall be *substituted,* namely:–

COLUMN-1 *Existing provision*	COLUMN-2 *Provision as hereby substituted*
Appendix-II (*See rule* 19)	Appendix-II (*See rule* 19)
Syllabus for competitive examination for recruitment to the Uttar pradesh Judicial Service.	Syllabus for competitive examination for recruitment to the Uttar pradesh Judicial Service.

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing provision	*Provision as hereby substituted*
The examination shall include the following subjects : –	The examination shall include the following subjects : –
Paper no. 1–General knowledge :	**Paper no. 1–General knowledge :**
This paper will be of 200 marks.	This paper will be of 200 marks.
There will be a paper of "General Knowledge".	There will be a paper of "General Knowledge".
This paper may include questions based on topics relating to history of India and Indian culture, Geography of India, Indian Polity, Current National Issues and topics of Social Relevance, India and the World, Indian Economy, International Affairs and Institutions and development in the field of Science and Technology, Communications and Space.	This paper may include questions based on topics relating to history of India and Indian culture, Geography of India, Indian Polity, Current National Issues and topics of Social Relevance including sensitivity to persons with disabilities, senior citizens and offences on women and children with special references to the salient features of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, Dowry prohibition Act, 1961, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, Sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (prohibition of Sex Selection) Act, 1994, Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, India and the World, Indian Economy, International Affairs and Institutions and development in the field of Science and Technology, Communications and Space.
The nature and standards of questions in these papers will be such that a well educated person will be able to answer them without any specialized study.	The nature and standards of questions in these papers will be such that a well educated person will be able to answer them without any specialized study.

Amendment of Paper no. 6 of Appendix-II

5. In the said rules in existing appendix-II paper no.-6 set out in Column-1 below, the provisions as set out in column-2 shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-1 *Existing provisions*	COLUMN-2 *Provisions as hereby substituted*
Appendix-II (*See rule* 19)	Appendix-II (*See rule* 19)
Paper no. 6–Law III (Penal, Revenue and Local Laws).	Paper no. 6–Law III (Penal, Revenue and Local Laws).
This paper will be of 200 marks. Questions set will be restricted to the field covered by- Indian Penal Code, Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, Uttar Pradesh Municipalities Act, U.P. Panchayat Raj Act, U.P. Consolidation of Holdings Act, Uttar Pradesh Urban (Planning and Development) Act, 1973 together with rules framed under the aforesaid Acts.	This paper will be of 200 marks. Questions set will be restricted to the field covered by- Indian Penal Code, Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, Uttar Pradesh Urban Building (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972, the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021, Uttar Pradesh Municipalities Act, U. P. Panchayat Raj Act, U. P. Consolidation of Holdings Act, Uttar Pradesh Urban (Planning and Development) Act, 1973 together with rules framed under the aforesaid Acts.
Answer to the question of Local Laws will be compulsory. Questions pertaining to penal Laws will be of 50 marks, whereas, that of Revenue and Local Laws will be of 150 marks.	Answer to the question of Local Laws will be compulsory. Questions pertaining to penal Laws will be of 50 marks, whereas, that of Revenue and Local Laws will be of 150 marks.

By order,
DR. DEVESH CHATURVEDI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 808 राजपत्र–2022–(1225)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा0 नियुक्ति–2022–(1226)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

808 RPH 2022 (Sa Niyukti-4) date-4e